-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित अभियोग में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2017 में थाना कालिंजर क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामलें में 03 अभियुक्तों मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 60 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण–पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित अभियोगो में कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में थाना कालिंजर क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलें में 03 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 16.05.2017 को थाना कालिंजर क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामलें में थाना कालिंजर में धारा 363/366/368/376/D भादवि, 5(छ)6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना श्री सियाराम अहिरवार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार व आरक्षी मानवेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी चंदन सिंह के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तो को मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **संतु पुत्र शम्भू निवासी तरहटी कालिंजर थाना कालिंजर जनपद बांदा।**
2. **अंकुरदास पुत्र हल्फाई निवासी गोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।**
3. **रामस्वरुप पुत्र चिरौंजीलाल निवासी गोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।**